प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

माध्यस्थम् अपील क्रमांक 16/2012

अपीलार्थी : भारत संघ व एक अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जितेंद्र कुमार चावड़ा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन अपील

अधिवक्तागण की उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. पटेल एवं सुश्री ममता सिन्हा।

प्रत्यर्थी की ओर से : विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश के. तिवारी।

मौखिक आदेश

(दिनांक: 23.10.2013)

(1) अपीलार्थीगण ने यह अपील, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (एतस्मिन पश्चात जिसे '1996 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 37 के अधीन, जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा एम.जे.सी. प्रकरण क्रमांक 25/2008 में दिनांक 12.10.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

(2) इस अपील के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

(2.1) पक्षकारों के मध्य दिनांक 30.05.1990 को एक करार क्रमांक 40/DEN-BSP/90-91 निष्पादित किया गया था, जो आरपीडी-सीएचडी के मध्य डाउन लाइन पर कि.मी. 1013 से कि.मी. 1005 तक 8 कि.मी. की लंबाई में 60 किग्रा रेल और पी.एस.सी. स्लीपर्स के साथ ट्रैक नवीनीकरण कार्य, जिसमें गिट्टी की गहरी स्क्रीनिंग और रेल जोड़ों की वेल्डिंग शामिल थी, को पूर्ण करने के संबंध में था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2.2) पक्षकारों के मध्य उद्भूत विवाद के अनुसरण में, प्रकरण को माध्यस्थ को संदर्भित किया गया: मध्यस्थता अधिकरण की नियुक्ति महाप्रबंधक/SECR द्वारा उप महाप्रबंधक (जी) के पत्र क्रमांक डीजीएम/जी/एसईसीआर/एआरबी/सीई/जेकेसी/63/59/2870दिनांक 13.11.2006 के माध्यम से की गई।

(2.3) माध्यस्थम् अधिकरण ने पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात, दावा की तिथि से 10% प्रति वर्ष की दर से ₹84,689/- की ब्याज राशि का अभिनिर्णय पारित किया।

(2.4) ब्याज प्रदान करने वाले अभिनिर्णय के उस हिस्से से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण ने जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष

1996 के अधिनियम की धारा 34 के अधीन ब्याज संदाय के निर्देश देने वाले अभिनिर्णय को निरस्त करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त कार्यवाही में प्रत्यर्थी/ठेकेदार ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभिनिर्णय अपास्त करने के आवेदन का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया।

(2.5) विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2011 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि करार के अनुसार, नकद जमा की गई जमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा, किंतु वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि जमानत राशि नकद संदाय की गई थी; अतः अधिकरण द्वारा 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज संदाय का निर्देश दिया जाना न्यायसंगत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. पटेल और सुश्री ममता सिन्हा यह निवेदन किया कि माध्यस्थ द्वारा सुरक्षा राशि पर ब्याज के संदाय का निर्देश देने वाला अभिनिर्णय , जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय ने की है, पूर्णतः अवैध है। यह इस तथ्य के आलोक में है कि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जारी 'संविदा की सामान्य शर्तें एवं मानक विनिर्देश, 2001' के खंड 16(3) के अनुसार, अनुबंध के अधीन ठेकेदार को देय बयाना राशि और सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अतः, अभिनिर्णय का वह भाग जिसके द्वारा ब्याज दिया गया है, साथ ही विचारण न्यायालय का वह आदेश, अपास्त किए जाने योग्य है।

(4) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. तिवारी का यह तर्क है कि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा ब्याज संदाय का निर्देश देने वाला आदेश, जिसकी पुष्टि विद्वान

विचारण न्यायालय ने की है, ब्याज देने के प्रकरण में पूर्णतः उचित है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(5) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

(6) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक और विधिक तर्कों के आलोक में, इस प्रकरण में अवधारणार्थ निम्नलिखित बिंदु उद्भूत होता है:

> "क्या प्रत्यर्थी/ठेकेदार, उसे आवंटित कार्य के संबंध में अपीलार्थीगण के पास जमा की गई सुरक्षा राशि पर ब्याज पाने का हकदार है?।"

(7) संबंधित कार्य के लिए दोनों पक्षकारों के मध्य दिनाँक 30.05.1990 को करार किया गया था।

(8) पक्षकारों के मध्य हुए करार के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नकद में जमा की गई उक्त सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) करार में निहित सुरक्षा राशि से संबंधित खंड निम्नानुसार है:

> "सुरक्षा राशि निम्नलिखित रूपों में हो सकती है: नकद जमा, बाजार मूल्य से 5% या उससे कम पर शासकीय प्रतिभूति, भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की जमा रसीदें, भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निष्पादित गारंटी बंधपत्र, अनुसूचित बैंकों के गारंटी बंधपत्र जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए सूचित किया गया हो, डाकघर बचत बैंक में जमा या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में जमा। बैंकों की जमा रसीद और डाकघर बचत बैंक जमा को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे' के पक्ष में गिरवी

रखा जाना चाहिए। उक्त सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जब वह नकद में जमा की गई हो।"

(10) यह प्रकरण दिनाँक 21.10.2013 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और अपीलार्थी के अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए समय दिया गया था कि क्या इस प्रकरण में 59,100/- रुपये की सुरक्षा राशि नकद में जमा की गई थी या अन्य माध्यमों से। निर्देशों के आधार पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सूचित किया है कि 59,100/- रुपये की पूरी राशि नकद में जमा नहीं की गई थी, बल्कि इसे सावधि जमा रसीद के माध्यम से जमा किया गया था।

(11) संविदा की सामान्य शर्तों एवं मानक विनिर्देश, 2001के खंड 16 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16(1). ठेकेदार द्वारा अपने निविदा के साथ जमा की गई बयाना राशि को रेलवे द्वारा अनुबंध के उचित और निष्ठापूर्ण पालन के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा। सुरक्षा राशि की शेष राशि को पूरा करने के लिए, जिसकी दरें नीचे दी गई हैं, ठेकेदार द्वारा नकद में या शासकीय प्रतिभूतियों के रूप में जमा किया जा सकता है, या ठेकेदार के "ऑन अकाउंट" बिलों से प्रतिशत कटौती के माध्यम से वसूला जा सकता है। यह भी प्रावधान है कि व्यतिक्रम करने वाले ठेकेदार के प्रकरण में, रेलवे लंबित "ऑन अकाउंट बिलों" में से ठेकेदार को देय किसी भी राशि को रोक सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार रोकी गई राशि अनुबंध के कुल मूल्य के 10% से अधिक न हो।

16(2)... ....

16(3). संविदा के अधीन ठेकेदार को देय बयाना राशि और सुरक्षा राशि या अन्य राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन इस खंड के उप-खंड (1) की शर्तों के अनुसार जमा की गई शासकीय प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज देय होगा।

(12) 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (क) और 31 (7) (ख) निम्नानुसार हैं:

31.(7) (क) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न पाया जाए, जहां और जहां तक कि कोई माध्यस्थम् अभिनिर्णय धन के संदाय के लिए है, माध्यस्थम् अधिकरण, उस राशि में, जिसके लिए अभिनिर्णय दिया गया है, संपूर्ण धन पर या उसके किसी भाग पर, यह तारीख जिसको अभिनिर्णय दियौ गया है. के मध्य की संपूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिए ऐसी दर से जो वह ठीक समझे, व्याज सम्मिलित कर सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31.(7)(ख) उस राशि पर, जिसका संदाय किए जाने का माध्यस्थम् अभिनिर्णय द्वारा निदेश दिया गया है. जब तक कि अभिनिर्णय में अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिनिर्णय की तारीख से उस राशि का मंदाय किए जाने की तारीख तक, अभिनिर्णय की तारीख को लागू ब्याज की वर्तमान दर से दो प्रतिशत उच्चतर दर पर ब्याज लगेगा।

(13) **<u>मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक. विरुद्ध बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड</u>**[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"अभिनिर्णय -पूर्व अवधि, वाद के दौरान और अभिनिर्णय -पश्चात अवधि के लिए ब्याज देने की माध्यस्थ की शक्ति विवाद में नहीं है। धारा 31(7)(क) यह

1 (2006) 11 SCC 181

प्रावधान करती है कि माध्यस्थ अधिकरण पूरी राशि या उसके किसी हिस्से पर, कार्रवाई शुरू होने की तारीख से अभिनिर्णय दिए जाने की तारीख अर्थात अभिनिर्णय -पूर्व अवधि के मध्य की पूरी अवधि या उसके किसी हिस्से के लिए ऐसी दर से ब्याज दे सकता है जिसे वह उचित समझे। हालाँकि, यह बकाया राशि पर ब्याज की दर के संबंध में पक्षकारों के मध्य हुए करार के अधीन है। यह प्रश्न कि क्या पूरी राशि पर या उसके किसी हिस्से पर ब्याज दिया जाएगा, या क्या इसे अभिनिर्णय -पूर्व अवधि के लिए दिया जाना चाहिए, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। माध्यस्थ अधिकरण को इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करना होगा कि: (i) किस दर पर ब्याज दिया जाना चाहिए; (ii) क्या ब्याज पूरी राशि पर दिया जाना चाहिए या अभिनिर्णय राशि के किसी हिस्से पर; और (iii) क्या ब्याज पूरी अभिनिर्णय -पूर्व अवधि के लिए दिया जाना चाहिए या उसके किसी हिस्से के लिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में, 30.05.1990 को पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार में विशेष रूप से यह सहमति बनी थी कि उक्त सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जब वह 'नकद' में जमा की गई हो। वर्तमान प्रकरण में, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि 59,100/- रुपये की सुरक्षा राशि, जिस पर माध्यस्थ द्वारा ब्याज दिया गया है, नकद में जमा नहीं की गई थी बल्कि सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की गई थी। इसलिए, सुरक्षा राशि पर ब्याज न देने के संबंध में करार में निहित निषेध यहाँ लागू नहीं होता है, और 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(क) के आधार पर, माध्यस्थ अधिकरण को सुरक्षा राशि पर ब्याज प्रदान करने का हकदार था। इसे अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

(15) इस प्रकार, सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की गई सुरक्षा राशि पर ब्याज देने का माध्यस्थ अधिकरण का निष्कर्ष, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है,माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है। इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(16) फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और एतदद्वारा खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri